

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 474 / 2011
संस्थित दिनांक- 07.10.2011

यशवंत पिता सीताराम यादव,
आयु-50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी ग्राम सेगवाल, तहसील
ठीकरी, जिला बड़वानी

.....परिवादी

वि रु द्ध

1. नानूराम पिता सीताराम यादव,
आयु-63 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
2. हुकुम पिता सीताराम यादव,
आयु-62 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
3. मनमोहन पिता नानूराम यादव,
आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
4. दशरथ पिता सीताराम यादव,
आयु-56 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
5. हेमन्त पिता हुकुमचंद यादव,
आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,

सभी निवासी ग्राम सेगवाल
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

....अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा	— श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।
अभियुक्तगण द्वारा	— श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 31/03/2016 को घोषित)

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 25.05.11 को सुबह लगभग 9:00 बजे ग्राम सेगवाल में परिवादी यशवंत की कृषि भूमि पर उसको लोकस्थान पर अश्लील गालियां देकर इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग करे या अन्य कोई अपराध कारित करे तथा उसके साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उसे मारपीट कर सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी एवं लात-घूंसो से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा-504, 323/34

का अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवारी एवं साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा यह तथ्य भी स्वीकृत है कि परिवारी एवं अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार हैं तथा अभियुक्तों के परिवार के आधार पर परिवारी के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण इसी न्यायालय में लंबित है, जिसका भी निर्णय आज ही घोषित किया जा रहा है ।

3. परिवार संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवारी ग्राम सेगवाल का निवासी है एवं अभियुक्तगण और वह आपस में रिश्तेदार हैं । परिवारी एवं अभियुक्तगण के पिता मांगीलाल के नाम से संयुक्त कृषि भूमि दर्ज है और परिवारी और सभी अभियुक्तों को 2-2 बीघा कृषि भूमि हिस्से में मिली है, जिस पर वे कृषि करते हैं । दिनांक 25.05.11 को सुबह 9:00 बजे परिवारी अपने खेत में बख्खर गेरने गया था, तभी अभियुक्त क्रमांक 3 मनमोहन आया और परिवारी के खेत में कुँए में मोटर डालने लगा, चूँकि उक्त कुँआ परिवारी की भूमि में है, परिवारी ने कुँए में मोटर डालने से मना किया और उससे कहा कि पिताजी से पूछकर कुँए में मोटर डालना, तो अभियुक्त मनमोहन ने उसे नंगी-नंगी गालियाँ दीं और इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने लकड़ियों से उसके साथ मारपीट की । अभियुक्त नानूराम और मोहन ने उसे पकड़ लिया था और अभियुक्त हुकुम ने उसे लट्ठ से सिर में मारा और नानूराम ने नीचे गिरा दिया और लात-घूसों से मारा, अभियुक्त हुकुम ने पत्थर से परिवारी के सिर में मारा, जिससे उसे चोटे आई । अभियुक्त मनमोहन ने उसे पसलियों में लट्ठ से मारा था । अभियुक्त दशरथ एवं हेमन्त ने परिवारी को लात-घूसों से मारते हुए जान से मारने की धमकी दी । गांव के जयराम ने आकर झगड़ा छुड़ाया और उसके सिर से खून निकल रहा था और परिवारी जमीन पर पड़ा था तो रामल्या ने आकर उसकी पत्नी को सूचना दी, परिवारी की पत्नी ने आकर से पानी पिलाया और अस्पताल ले गये । अभियुक्तों ने परिवारी को जान से मारने की धमकी भी दी थी । परिवारी ने घटना उसकी पत्नी और रामल्या को बतायी तथा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर करने गया था, जहाँ से उसे उपचार के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी ले गये थे, जहाँ से परिवारी को बड़वानी ईलाज के लिये भेजा गया था । पुलिस ने परिवारी की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की थी तो उसने पुलिस अधीक्षक बड़वानी को शिकायत की गयी थी, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, इसलिए परिवारी ने यह परिवार प्रस्तुत किया है ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-504, 323/34 के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि रंजिश के कारण उन्हें झूठा फँसाया गया है, वे खेत में पानी की मोटर डालने गये थे तो परिवारी ने मना किया और उनके साथ मारपीट की थी तथा परिवारी ने पत्थर अपने सिर पर मार लिया था तथा झूठी रिपोर्ट एवं झूठा परिवार पेश किया है । अभियुक्तों ने बचाव-साक्ष्य देना प्रकट किया है, किंतु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने घटना दिनांक 25.05.11 को सुबह 9:00 बजे परिवारी यशवंत की कृषि भूमि ग्राम सेगवाल में परिवारी को इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग करे या अन्य कोई अपराध करे ?
2	क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्तों ने परिवारी यशवंत को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण द्वारा परिवारी के साथ लकड़ी एवं लात-घूंसा से मारपीट की गयी ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी परिवारी यशवंत (प.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक 25.05.11 को सुबह 8-9 बजे की है, वह अपने खेत ग्राम सेगवाल में बक्खर गेर रहा था, तभी अभियुक्त मनमोहन उसके हिस्से के खेत में मोटर डालने लगा, उक्त कुंआ पूर्णरूप से सूखा था, जिसमें मनमोहन मोटर डालने लगा था, उसने मनमोहन को मोटर डालने से पूर्णरूप से मना नहीं किया, किंतु उसे कहा कि पिताजी से पूछ लो, वे कह दे तो मोटर डाल देना, तो मनमोहन ने कहा था कि वह उनसे क्यों पूछे और मनमोहन ने उसे माँ, बहन की अश्लील गालियाँ दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी । मनमोहन गालियाँ दे रहा था, उसका भाई हुकुमचंद, दशरथ एवं हेमंत भी आ गये थे, अभियुक्त नानूराम एवं मनमोहन ने उसे पकड़ लिया था तथा हुकुमचंद ने उसे सिर पर लट्ठ मारी, जिससे उसे सिर पर 3 टांके आए थे । नानूराम और मनमोहन ने उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया था । हुकुमचंद ने उसे पत्थर मारा था जो उसे सिर में लगा था, उसे होश नहीं था तथा उसे सिर, पसली पर लात-घूंसा से मारते रहे थे । घटना में बीच-बचाव जयराम ने किया था । उसने घटना की रिपोर्ट उसी दिन की थी, जो प्र.पी.1 की है, उसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को मौखिक शिकायत की थी । पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी । उसे थाना ठीकरी से ठीकरी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ से उसे बड़वानी रेफर किया था । जिला चिकित्सालय बड़वानी का डिस्चार्ज कार्ड प्र.पी.2 का है । पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे ।

7. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अदम चेक प्र.पी.1 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे पढ़ा नहीं था, परिवारी ने स्पष्ट किया कि उसे चश्मा लगता है और वह चश्मे के बिना पढ़ नहीं सकता और उसने उस समय चश्मा नहीं पहना था । उसने अपने भाई मनमोहन, हुकुमचंद, नानूराम, हेमंत एवं दशरथ के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी थी । परिवारी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने दशरथ एवं नानूराम के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखायी थी, परिवारी ने स्पष्ट किया कि उसने उनके नाम थाने पर बताये थे, पुलिस ने नहीं लिखे हों

तो उसका कारण नहीं बता सकता । उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखाते समय हुकुमचंद एवं नानूराम ने उसे पसली पर लात-घूसों से मारने वाली बात बता दी थी, पुलिस ने नहीं लिखी हो तो उसका कारण नहीं बात सकता है । परिवादी ने अस्वीकार किया है कि कुंआ उसके एवं अभियुक्तगण का सामिलाती है, परिवादी ने स्पष्ट किया कि कुंआ उसके हिस्से में है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट में कुंआ उनका सामिलाती होना लिखाया था और सभी उससे सिंचाई करते हैं । परिवादी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने मनमोहन को पीछे से जांघ पर लकड़ी मारी थी और नानूराम, हुकुमचंद के साथ भी गाली-गलौज एवं मारपीट की थी । परिवादी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने स्वयं के सिर पर पत्थर मारकर चोट पहुँचाई थी एवं उसने अभियुक्तों के साथ मारपीट की और थाने पर जाकर झूठी रिपोर्ट की थी । परिवादी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अभियुक्तों के हिस्से के कुएं पर सिंचाई नहीं करने देना चाहता है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण का कुएं में कोई हिस्सा नहीं है और वे बिल भी नहीं देते हैं । परिवादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने उसके साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की थी अथवा उसने अभियुक्तों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी है ।

8. साक्षी जयराम (प.सा.2) का कथन है कि वह परिवादी एवं अभियुक्तों को जानता है । 5 वर्ष पूर्व सुबह 8-9 बजे वह मुकेश पटेल के खेत पर मजदूरी करने गया था और पानी वाल रहा था । यशवंत बक्खर गेर रहा था । मोहन खेत में आया था और उनका आपस में विवाद हुआ था । परिवादी यशवंत को अभियुक्त मोहन ने पकड़ लिया और हुकुमचंद ने ईंट से मारा था, जो यशवंत को सिर में लगी थी । फिर अभियुक्तों ने परिवादी को लात-घूसों से खेत में मारा था । परिवादी के सिर से खून निकल रहा था । उसने बीच-बचाव करके छुड़ाया था, उसके कपड़ों पर भी खून लग गया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह जहां काम कर रहा था, वहां के खेत से 3-4 खेत दूरी पर हैं और उसके खेत से यशवंत का खेत दिखता है । उसके यशवंत से अच्छे संबंध हैं । वह यशवंत के साथ प्रत्येक दिनांक पर आ रहा है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने घटना देखी थी, इसलिए आता है । साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कथन लिये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि परिवादी को किस चीज से शरीर के किस स्थान पर मारा था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह परिवादी के कहे अनुसार असत्य कथन कर रहा है ।

9. साक्षी रामलाल (प.सा.3) का कथन है कि वह परिवादी एवं अभियुक्तों को जानता है । 4 वर्ष पूर्व सुबह की घटना है । वह बकरी का पाला लेने खेत में गया था, परिवादी यशवंत उसके खेत में कुएं के पास पड़ा हुआ था । परिवादी ने उसे बताया था कि उसे मोहन एवं नानूराम ने मारपीट की है । परिवादी के सिर से खून निकल रहा था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे । प्र.डी.2 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर कहां करवाये थे, वह नहीं बता सकता । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने विवाद नहीं हुआ था और उसे नहीं पता कि परिवादी को चोट किस वस्तु से आई थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि परिवादी के कहने से अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है ।

10. परिवादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये हैं, वह प्र.पी.1 परिवादी द्वारा घटना दिनांक को अभियुक्त नानूराम, हुकुमचंद और मनमोहन के विरुद्ध लिखायी गयी प्र.पी.1 की रिपोर्ट की कार्बन प्रतिलिपि है। उक्त प्र.पी.1 की असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में परिवादी ने अभियुक्त नानू तथा हुकुमचंद, मनमोहन के विरुद्ध खेत में मोटर डालने की बात को लेकर विवाद करना तथा गाली-गालौज करना और मारपीट करने के संबंध में लिखाया है, जिसके आधार पर परिवादी को मेडिकल-परीक्षण के लिये भी भेजा गया था तथा परिवादी ने उसका डिस्चार्ज कार्ड जिला चिकित्सालय बड़वानी का प्र.पी.2 प्रमाणित कराया गया है।

11. लेकिन इसी घटना दिनांक को अभियुक्त मनमोहन ने भी परिवादी के विरुद्ध कुंए में मोटर डालने की बात को लेकर असंज्ञेय अपराध क्रमांक 214/11 की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जिसमें भी इसी घटनाक्रम का उल्लेख है तथा घटना का समय, दिनांक और स्थान भी एक ही है। उक्त घटना के आधार पर अभियुक्त मनमोहन ने भी इस प्रकरण के परिवादी यशवंत के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसका भी निर्णय आज ही घोषित किया जा रहा है। इस प्रकार परिवादी प्रस्तुत दस्तावेजों एवं परिवादी के कथन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उभयपक्षों के मध्य कुंए में मोटर डालने की बात को लेकर आपसी मारपीट की घटना कारित की गयी है और उन दोनों ही पक्षों में से कौन सा पक्ष 'अग्रेसर' था, जिसके द्वारा घटना प्रारंभ की गयी थी, स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही प्रकरणों में साक्षी एवं अभियुक्तगण के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि परिवादी और अभियुक्तगण के मध्य कुंए में मोटर डालने की बात को लेकर आपसी विवाद हुआ है और एक-दूसरे के साथ मारपीट की घटना मुक्त रूप से कारित हुई है, जिसमें कौन सा पक्ष 'अग्रेसर' था यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

12. ऐसी स्थिति में परिवादी यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तों ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर परिवादी के साथ उसे क्षोभ कारित करने के आशय से लोकस्थान पर अश्लील शब्द कहकर उसे लोकशांति भंग करने के लिये प्रकोपित किया तथा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए उसे सख्त एवं बोथरी वस्तु से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, क्योंकि उक्त काउंटर प्रकरण क्रमांक 31/14 में भी अभियुक्त को चोटे आई हैं, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में परिवादी का मामला संदेहास्पद हो जाता है और उसके विरुद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

13. उक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-504, 323/34 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण नानूराम पिता सीताराम यादव, आयु-63 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, हुकुम पिता सीताराम यादव, आयु-62 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, मनमोहन पिता नानूराम यादव, आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, दशरथ पिता सीताराम यादव, आयु-56 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, हेमन्त पिता हुकुमचंद यादव, आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, सभी निवासी ग्राम सेगवाल तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा-504, 323/34 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.